तृतीय चरण

अतिआवश्यक / सर्वोच्च वरीयता / समयबद्ध

कार्यालय –खण्ड शिक्षा अधिकारी–नगर क्षेत्र–मुजफ्फरनगर।

पत्रांक / आर0टी0ई0 / 378-79 / 2024–25 दिनांक – 28/06/2024

आदेश

प्रबंधक / प्रधानाचार्य,
गोल्डन पब्लिक स्कूल,
पचैंडा रोड, नगर क्षेत्र–मुजफ्फरनगर।

विषयः–निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के अन्तर्गत प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या/ आर0टी0ई0 / 377 / 2024–25 दिनांक 13 जून–2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 12(1) (ग) के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2024–25 में तृतीय चरण की आनलाईन लॉटरी में प्री प्राईमरी / कक्षा–01 में प्रवेश हेतु चयनित आलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के छात्र–छात्राओ को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्री प्राईमरी / कक्षा–01 में कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक निःशुल्क प्रवेश कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी को निर्देशित किया गया है।

क्र0स0	छात्र / छात्रा का नाम	पिता / अभिभावक का नाम	छात्र / छात्रा की जन्मतिथि	मोबाईल नम्बर	कक्षा जिसमें प्रवेश होना है।
1–	शिवांश	पंकज कुमार	03.04.2020	9761939541	प्री–प्राईमरी

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको तत्काल प्रभाव से निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार उच्च अधिकारियो के आदेशों / निर्देशों का पालन करते हुए नियमानुसार उपरोक्त के आधार पर अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों के माता,पिता एवं अभिभावको से सम्पर्क कर समस्त आवश्यक पत्राजात प्राप्त करने के उपरान्त बच्चों का प्रवेश कराकर दो दिवस के भीतर प्रत्येक दशा में लिखित प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं उदासीनता बरती जाती है तो उक्त दशा / स्थिति में होने वाली कार्यवाही के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

Singh
खण्ड शिक्षा अधिकारी
नगर क्षेत्र–मुजफ्फरनगर।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांकः–तदैव।

प्रतिलिपिः– सम्बन्धित छात्र / छात्रा के अभिभावकों को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त टेबल में अपने बच्चें का नाम देखने के उपरान्त सम्बन्धित विद्यालय से सम्पर्क कर समस्त आवश्यक पत्राजात उपलब्ध कराते हुए बच्चे का प्रवेश कराकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समस्त पत्राजात उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अगर उक्त प्रवेश के समय कोई तथ्य छिपाया जाता है,तो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभिभावक का होगा।

खण्ड शिक्षा अधिकारी
नगर क्षेत्र–मुजफ्फरनगर।

रीना